"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2017— ज्येष्ठ 9, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2017

अधिसूचना

फा. क्र 5002/1330/21-अ/स्था./छ.ग./17. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधि और विधायी कार्य विभाग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-तीन के नीचे, निम्नलिखित टीप जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"टीप :- इन नियमों में अन्यथा किसी प्रावधान के होते हुए भी अनुकंपा नियुक्ति के मामले में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, स्पष्टीकरण, निर्देश तथा निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं लागू होगी."

F No. 5002/1330/XXI-A/Estt./C.G./17. — In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs Department Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1983, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

Below Schedule-III, the following note shall be added, namely :-

"Note :- Notwithstanding anything otherwise contained in this rules, order, clarification, instructions, educational/technical qualification issued by the General Administration Department with respect to compassionate appointment, from time to time, shall be applicable."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.